राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2136/2024

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, अजमेर।
3. सहायक अभियंता जल संसाधन, उपखण्ड बान्दनवाडा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 01.07.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ड्राईवर के पद पर दिनांक 27.02.1991 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.06.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ प्रतिनियुक्ति पर सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड ब्यावर में लगाया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.06.2024 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि कार्यव्यवस्थार्थ के अन्तर्गत पदस्थापित करने का कोई प्रावधान राजस्थान सेवा नियम में नहीं है उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मनमानी करते हुए अपीलार्थी को ब्यावर में लगाया गया है, जो विधि विरूद्ध है। किसी भी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित करने के लिए कर्मचारी की सहमति लेना आवश्यक है, जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किसी प्रकार की सहमति लिए बिना अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनु.—1) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.01.2023, 03.01.2024, (अनुलग्नक—3) के द्वारा दिनांक 04.01.2023 से दिनांक 15.01.2023 से राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जो वर्तमान में

पूर्णतः प्रभावी है, का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण केकड़ी से ब्यावर में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश नरेश कोली बनाम राजस्थान राज्य के विपरीत जाकर किया गया है। अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जिससे अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित होगी। अपीलार्थी एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.06.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 18.06.2024 को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को जल संसाधन उपखण्ड बान्दनवाडा में पदस्थापित रखा जावे एवं वेतन का आहरण भी वर्तमान पदस्थापन से करवाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.06.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आगामी मानसून काल की आवश्यकता के मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ प्रतिनियुक्ति पर सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड ब्यावर में प्रशासनिक आवश्यकता के कारण लगाया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.06.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रशासनिक आवश्यकतानुसार कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन आदेश दिनांक 14.06.2024 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य